संख्या:56/2020/1521जेएल/22-3-2020-100(31)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* *लखनऊ: दिनांक: 22 अगस्त, 2020*

विषय: जिला कारागार मऊ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19385/सामा-1(8)/मऊ/2020, दिनांक 07-08-2020, पत्र संख्या-19384/सामा-1(8)/मऊ/2020, दिनांक 07-08-2020 एवं पत्र संख्या-19383/सामा-1(8)/मऊ/2020, दिनांक 07-08-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार मऊ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र.स. | विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम | निरूद्धि की वर्तमान कारागार | कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अखण्ड राय पुत्र श्री अशोक राय | जि0का0 मऊ | जि0का0 कन्नौज |
| 2 | अंकुर राय पुत्र स्व0 रामदर्श राय | जि0का0 मऊ | जि0का0 मेरठ |
| 3 | मनीष राय पुत्र स्व0 बिपिन बिहारी | जि0का0 मऊ | के0का0 आगरा |

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:56/2020/1521जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/कन्नौज/मेरठ/आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मऊ/कन्नौज/मेरठ/आगरा।
5. अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार मऊ/कन्नौज/मेरठ एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in